फर्द अहकाम

नाम न्यायालयः- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

मोटी देवी बनाम शंकर

संख्या 115/22

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
8/1/25	पत्रावली पेश हुई। वादिया मय अधिवक्ता उपस्थित होकर एक प्रा. पत्र मय शपथ पत्र बाबत वाद पत्र विड्रो किये जाने का पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त उनवान प्रकरण में वादिया व प्रतिवादी शंकर के मध्य गांव समाज के मौतबिरान लोगों के समझाने बुझाने से आपस में राजीनामा हो गया है जिसके अनुसार वादिया मीणा जाति से होने से कानूनन मीणा जाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधि. नियम 1956 की धारा 2-2 की मंशा के अनुसार लड़कियों को पिता एवं पैतृक सम्पति में कोई हक अधिकार नहीं मिलते है वादिया के कोई हक अधिकार वाद ग्रस्त भूमि में नहीं होना स्वीकार व अंगीकार करते हुए वादिया अपने वाद पत्र को संलग्न राजीनामे की रोशनी में अपने सम्पूर्ण हक अधिकार समाप्त करते हुए अपने वाद पत्र को विड्रो कर खारिज करा रही है एवं भविष्य में वादिया अथवा उसके वारिस उत्तराधिकारी आदि उक्त	RTI गोटी Identify गोपाल शंकर मीणा L. d. [signature] शंकर जुना अधिवक्ता सुरेश कुमार मीणा

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		राजीनामे की रोशनी में वादग्रस्त भूमि को लेकर किसी भी प्रकार के कोई क्लेम नहीं करेंगे। अतः प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर संलग्न राजीनामे को तस्दीक फरमाते हुए राजीनामे की रोशनी में वाद पत्र को विड्रो करने के आदेश प्रदान करते हुए खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करे। वादिया को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वादिया द्वारा प्रा.पत्र के संलग्न राजीनामा पर वादिया व प्रतिवादी सं.1 के हस्ताक्षर करवाये गये वादिया की पहिचान वकील श्री रामचन्द्र ने की तथा प्रतिवादी सं.1 की पहिचान वकील श्री विनोद शर्मा ने की है राजीनामा को पढ़कर वादिया तथा प्रतिवादी सं.1 को सुनाया गया जिसे सही होना स्वीकार करने पर राजीनामा तसदीक किया गया। पत्रावली का व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं वकील वादिया को प्रार्थना पत्र वाद विड्रो एवं राजीनामा पर सुनने के पश्चात वादिया का वाद पत्र को राजीनामा की रोशनी में प्रार्थना पत्र वाद विड्रो स्वीकार किया जाकर वाद को विड्रो करने की अनुमति दी जाती है। प्रा.पत्र

उप खण्ड अधिकारी

फर्द अहकाम

नाम न्यायालयः- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

गौरी देवी बनाम शंकर

115/22

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	बाद विद्रो विचार होने से दावा वादी खारिज किया जाता है राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)	